न्यायालय सिविल जज (अ० ख०), खुर्जा, बुलन्दशहर

मूलवाद सं० 195/2021
भगवत प्रसाद बनाम राहुल कुमार

दिनांक-18.07.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभय पक्ष अनुपस्थित हैं। वादी लंच उपरांत पेश हो।

(आंचल चन्देल)
सिविल जज (अ०ख०),
खुर्जा,बुलन्दशहर।
JO CODE: UP3471

लंच उपरांत-

दिनांक-18.07.2026

पत्रावली लंच उपरान्त पेश हुई, बार-बार पुकार करायी गयी, पुकार पर उभय पक्ष अनुपस्थित हैं। पत्रावली के परिशीलन से विदित है कि वादी को वाद में बल दिये जाने हेतु अन्तिम अवसर दिया गया हैं। परन्तु न ही वादी और न ही प्रतिवादीगण न्यायालय में उपस्थित आये। आज न्यायालय में उभय पक्ष उपस्थित नहीं आय़ा। न ही उनकी ओर से कोई मौका प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षकार अपने वाद के प्रति गम्भीर नहीं हैं एवं वाद चलाने में रूचि नहीं रखते है। वादी प्रस्तुत वाद में बल नहीं देना चाहते हैं। ऐसे में समस्त तथ्यों के दृष्टिदृगत प्रस्तुत वाद उभय पक्षों की अनुपस्थिति में अन्तर्गत आदेश 9 नियम 3 खारिज किया जाता है।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(आंचल चन्देल)
सिविल जज(अ०ख०),
खुर्जा,बुलन्दशहर।
JO CODE: UP3471

Digitally signed by Anchal Chandel
Date: 2026.07.18 15:12:52 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court